भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2582
जिसका उत्तर मंगलवार, 15 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को बढ़ावा

2582. श्रीमती पूनम महाजन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा वृद्धि संबंधी योजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है और पूंजीगत वस्तु में शामिल संघटकों और उप-क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारी उद्योग विभाग पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी, मुम्बई में प्रोद्योगिकी और उत्पाद विकास हेतु उत्कृष्टता उन्नत केन्द्र को स्थापित करने की संभावना की खोज कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी० एम० सिद्देश्वर)

(क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के सृजन और साझा औद्योगिक सुविधा केन्द्रों के मामलों का समाधान करके भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस स्कीम के पांच घटक हैं। इन घटकों का उद्देश्य (i) प्रौद्योगिकी विकास उत्कृष्टता केन्द्र, (ii) एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधा, (iii) साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र, और (iv) परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र की स्थापना करना हैं। इस स्कीम में एक वित्तीय घटक अर्थात प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण/हस्तांतरण के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम भी है। इस स्कीम का विवरण dhi.nic.in>Schemes> Capital Goods Scheme> Scehme notification containing guidelines पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) हालांकि, इस स्कीम के तहत आईआईटी मद्रास में मशीन टूल उत्कृष्टता केन्द्र का अनुमोदन किया जा चुका है, फिर भी आईआईटी, बॉम्बे के प्रस्ताव सहित कई अन्य प्रस्ताव कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

*****